

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर
क्रमांक / कैम्प / 2021 / 207

दिनांक 21.10.2021

आदेश

रिपोर्ट तहसीलदार / नायबे तहसीलदार अमलदार के आधार पर अमलदार
परवार दलका काय की खाल लम्बा 15 मी छोटा
कन्हैयालाल पुत्र बोइपम के स्थान पर कानाराम पुत्र बोइपम
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। किती भी न्यायालय का
स्थगन आदेश न होने पर

तहसीलदार दांतारामगढ निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में
अमलदारामद कर पालना से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रशासन गांव के संग अगियान -2021

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर